न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 55/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह बारेठ प्रवर्तन अधिकारी
   बनाम
   श्री उमेश शर्मा उर्फ बोबी, प्रोपराईटर शर्मा कार क्रियेशन, 140 ध्रुव मार्ग, गुरु नानकपुरा, जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 01.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री योगेश गुप्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी क्षेत्र संख्या 2, जयपुर श्री सुरेन्द्र सिंह बारेठ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, एफ.आई.आर. की प्रति आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी उमेश शर्मा पर दिनांक 24.04.2009 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 2 खाली घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा.), जली हुई मारुति कार, एक मोपेड, एक स्कूटर, 5 विद्युत चलित मोटर व एक रेग्यूलेटर को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों व अन्य सामानों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये जबकि वह मौके से भाग गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 08.07.2009 को अधिवक्ता श्री योगेश गुप्ता ने वकालतनामा पेश किया, परन्तु अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 01.07.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 24.04.2009 को अप्रार्थी के व्यावसायिक परिसर पर जांच कार्यवाही कर कुल 2 घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा.), जली हुई मारुति कार, एक मोपेड, एक स्कूटर, 5 विद्युत चलित मोटर व एक रेग्यूलेटर जब्त किये गये तथा मौके पर से अप्रार्थी भाग गया और उक्त जब्ती सामान के बाबत कोई जवाब प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया। चूंकि

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

प्रार्थी द्वारा जब्त सिलेण्डर व अन्य सामान अवैध थे और उनके संधारण बाबत अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया गया एवं किसी अन्य व्यक्ति ने भी उक्त सामान के लिये क्लेम नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से संग्रहण एवं विद्युत चलित मोटर से घरेलू गैस को वाहनों में भरकर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 2 घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा.), जली हुई मारुति कार, एक मोपेड, एक स्कूटर, 5 विद्युत चलित मोटर व एक रेग्यूलेटर को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करांकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर